



मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा**

पीठासीन अधिकारी :- उमा मित्तल

आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 162/2010

- |                                   |   |                                   |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. अंग्रेजकौर पत्नी जगरूपसिंह     | } | जाति जटसिख साकिन सरांवावाला       |
| 2. छिन्द्रपालकौर पुत्री जगरूपसिंह |   | तहसील पीलीबंगा हाल आबाद 3 एल सी ए |
|                                   |   | तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।   |

—वादीगण

बनाम

- |   |   |   |   |                                      |
|---|---|---|---|--------------------------------------|
| 1. कश्मीरसिंह                               | } | पिसरान बंतासिंह                               | } | जाति जटसिख साकिन सरांवावाला          |
| 2. गुरदास सिंह                              |   | तहसील पीलीबंगा                                |   |                                      |
| 3. गुरमीतकौर पत्नी                          | } | हरदेव सिंह                                    | } |                                      |
| 4. राजविन्द्रकौर पुत्री                     |   |   |   |                                      |
| 5. वकीलसिंह पुत्र                           |   |   |   |                                      |
| 6. काकूसिंह                                 | } | पिसरान पूर्णसिंह                              | } | जाति जटसिख साकिन                     |
| 7. बिन्द्रसिंह                              |   | लखुवाली तहसील                                 |   |                                      |
| 8. लाभसिंह पुत्र गुरजन्तसिंह                | } |   | } | पीलीबंगा ।                           |
| 9. गुरप्रीतसिंह पुत्र जगराजसिंह             |   |   |   |                                      |
| 10. बजीरसिंह पुत्र चनणसिंह                  |   | जाति जटसिख साकिन सरांवावाला                   |   | तहसील पीलीबंगा                       |
| 11. कौरसिंह                                 | } | पिसरान प्रतापसिंह                             | } | जाति जटसिख साकिन वाटर वर्क्स टंकी के |
| 12. मिठूसिंह                                |   | पास जैतसर तहसील विजयनगर जिला श्री गंगानगर।    |   |                                      |
| 13. दर्शनकौर पुत्री प्रतापसिंह पत्नी गुरचरण |   | जाति जटसिख साकिन रोड़ावाली तहसील व            |   | जिला हनुमानगढ ।                      |
| 14. दासो पुत्री प्रतापसिंह                  |   | जाति जटसिख साकिन भोलेवाला तहसील पीलीबंगा जिला |   | हनुमानगढ ।                           |
| 15. गुरमीतसिंह                              | } | पिसरान बलतेजसिंह पुत्र पंजाबसिंह              | } | जाति जटसिख साकिन सरांवावाला          |
| 16. नसीब सिंह                               |   | तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।                |   |                                      |

3  
सहायक कलक्टर एव  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

17. निर्मलसिंह

18. गेलो पुत्री पंजाबसिंह पत्नी अंग्रेजसिंह जाति जटसिख साकिन खुंजा पुरानी तहसील व  
जिला हनुमानगढ़।

19 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा।



प्रतिवादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा**  
**डिक्री**

दिनांक :- 16/10/25

वादीगण की ओर से श्री जगजीत सिंह रमाणा अधिवक्ता, व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है एवं आदेश दिया जाता है कि वाद पत्र वादीगण साबित होने पर स्वीकार किया जाकर चक 9 एलजीडब्ल्यू के प.न. 25/292 के किला न. 1 ता 5, 7/2, 8 ता 10, 16,17 की कुल 2. 530 है. मय गैर मु. भूमि में से वादीगण के नाम से किला न. 16 की .101 है. का खाता अलग किया जाने के आदेश पारित किया जाता है शेष खाता यथावत रहेगा।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 16/10/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

3  
( उमा मित्तल आर.ए.एस. )  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलक्टर एव  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा